संख्या 307/II/नी-4-97-213ई0ओ0/9

श्री आर0बी0भाष्कर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ0प्र0,
लखनऊ।

अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक : 31 जनवरी, 1997

उत्तर प्रदेश पत्रलिका प्रशासी (प्रवर) सेवा के विभिन्न पदों पर पदोन्नति हेतु अर्हताओं का निर्धारण।

====

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3209/II-4-5 रि0/80टी0सी0, दि. 23 मई, कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश दिनांक 23 मई, 1984 द्वारा उ0प्र0 केन्द्रीकृत प्रशासी (प्रवर) सेवा के विभिन्न पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये निर्धारित की गयी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0उच्चतम न्यायालय में दा0 रि0(सं0)-1165/96-राम शोभा त्रिपाठी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश 17-12-96 के परिप्रेक्ष्य में श्री राज्यपाल एतद्द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 23 मई, 84 के क्रम-5 में निम्नानुसार संशोधन किए जाने के आदेश देते हैं:-

अधिकारी (सामान्य वेतनमान)	उप नगर अधिकारी के पद पर स्थायी हों तथा
उप अधिकारी (विशेष वेतनमान)	सहायक नगर अधिकारी तथा उप नगर अधिकारी के पद पर कुल मिलाकर 12 वर्ष की सेवा चयन वर्ष की पहली जुलाई को पूरी कर ली हो जिसमें उप नगर अधिकारी (सामान्य वेतनमान) में कम से कम 5 वर्ष की सेवा होना आवश्यक है।

भवदीय,

आर0बी0भाष्कर
सचिव।

---2/-

संख्या : 307 ।।।/नौ-4-97-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

।1। समस्त मुख्य नगर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
।2। समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।
।3। सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

।सी0एम0श्रीवास्तव।
विशेष सचिव।